



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-66

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 229682 दिनांक 03/07/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	VIVEK PAYAL S/o DHARAMPA L SINGH PAYAL एवं DHARAMPA L SINGH PAYAL S/o NAND RAM PAYAL	श्री अंजनी कुमार सिंह पुत्र श्री बी.पी.सिंह	D269A	281.05 SQ. YARD	Cooperative	KUSUM VIHAR Sector/Block-	Name Transfer	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुसुम विहार के भूखण्ड संख्या डी-269ए क्षेत्रफल 281.05 वर्ग गज की लीजडीड श्री अंजनी कुमार सिंह पुत्र श्री बी.पी.सिंह के नाम से दिनांक 21.03.2014 को जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2019 के द्वारा श्रीमती सतनाम कौर पत्नी श्री राजपाल सिंह एवं श्रीमती अमित कौर पत्नी श्री अमर जीत सिंह को कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती सतनाम कौर एवं श्रीमती



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

अमित कौर द्वारा
उक्त भूखण्ड का
बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
03.06.2025 के
द्वारा श्री विवेक
पायल पुत्र श्री
धर्मपाल सिंह
पायल एवं श्री
धर्मपाल सिंह
पायल पुत्र श्री
नन्द राम पायल
को कर दिया
गया। आवेदकगण
श्री विवेक पायल
एवं श्री धर्मपाल
सिंह पायल द्वारा
उक्त भूखण्ड का
नाम हस्तान्तरण
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. VIVEK PAYAL S/o DHARAMPAL SINGH PAYAL एवं DHARAMPAL SINGH PAYAL S/o NAND RAM PAYAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |